कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा-I) मध्यप्रदेश, ग्वालियर

O/o the Principal Accountant General (Audit-I), M.P., Gwalior

क्रमांकःप्रशा./गो.क./ले.प./एम.ए.सी.पी./भाग-4/का.आ.- 449 दिनांक 21.03.2022

कार्यालय आदेश/OFFICE ORDER

मुख्यालय के परिपत्र क्रमांक 23-Staff Wing/2016 जारी क्रमांक 39-Staff(Entt.II)/184-2014 दिनांक 20.06.2016 के अनुसार एस.ए.एस. परीक्षा उत्तीर्ण कर्मचारियों की सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी के पद पर नियुक्ति को एम.ए.सी.पी. योजना के अंतर्गत प्रदान किये जाने वाले वित्तीय उन्नयन हेतु सीधी भर्ती माना जायेगा तथा सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी द्वारा निम्नतर वेतनमान/ग्रेड-पे पर की गई सेवा को ए.सी.पी./एम.ए.सी.पी. योजना के अंतर्गत गणना मे नहीं लिया जायेगा। सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी/अनुभाग अधिकारी के पद पर नियुक्ति तिथि से की गई सेवा को ए.सी.पी./एम.ए.सी.पी. योजना हेतु नियमित सेवा माना जायेगा।

In terms of headquarters Circular No.23-Staff Wing/2016 issued vide No.39-Staff(Entt.-I)/184-2014 dated 20.06.2016 appointment of SAS qualified persons to the post of AAO shall be treated as direct recruitment for the purpose of grant of benefits under ACP/MACP Scheme and the service rendered by the AAOs in lower pay-scale/grade pay shall not be counted for the purpose of considering benefits under ACP/MACP Scheme. The regular service for the purpose of grant of benefits under ACP/MACP Scheme shall be counted from the date of appointment to the post of AAO/erstwhile post of Section Officer.

इस संबंध में मुख्यालय के पत्र क्रमांक 84-Staff (Entt.I)/SS-II-2017 दिनांक 04.02.2022 द्वारा सूचित किया गया है कि यदि मुख्यालय का परिपत्र दिनांक 20.06.2016 लाभप्रद नही हो, तो, अधिकारियों को उक्त परिपत्र से बाहर रहने का विकल्प अनुमत्य है। इस स्थिति मे उक्त परिपत्र को लागू नही किया जायेगा तथा वेतन/सेवा-उन्नयन को सामान्य क्रम में, बिना उक्त परिपत्र को लागू किये, विनियमित किया जायेगा। इस विकल्प को अंतिम माना जायेगा। बाद मे विकल्प को वापस लेने/पुनरीक्षित करने संबंधी किसी भी अनुरोध पर विचार नही किया जायेगा। इसके अतिरिक्त उक्त परिपत्र से बाहर रहने के विकल्प की स्थिति मे एवं वेतन/वित्तीय उन्नयन के पुनरीक्षण की स्थिति मे, अधिक भुगतान/अतिरिक्त भुगतान, यदि कोई हो तो, की वसूली की जायेगी।

In this connection headquarters vide letter No. 84-Staff (Entt.I)/SS-II-2017 dated 04.02.2022 has intimated that *"...if the Headquarters circular dated 20.06.2016 is not beneficial, the official may be allowed to opt out of the said circular. In such case the said circular shall not be implemented and the pay/service progression shall be regulated as per the normal course i.e. without implementation of the said circular dated ibid. Such option would be treated as final. Any subsequent requests regarding withdrawing/revising the same shall not be entertained. Further, overpayments/excess payments if any, arising due to opting out of the said circular and re-regulation of pay/MACP, would necessitate recoveries. "*

अतः कार्यालय के समस्त सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों/वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारियों को सूचित किया जाता है कि यदि वे मुख्यालय के उपरोक्त परिपत्र दिनांक 20.06.2016 के अनुसार वित्तीय उन्नयन का लाभ लेना नहीं चाहते है तो वे संलग्न प्रोफ़ार्मा मे इस कार्यालय आदेश के जारी होने की तिथि से एक माह की समयावधि मे अपना विकल्प संबंधित प्रशासन अनुभाग मे प्रस्तुत करें।

Therefore, all Assistant Audit Officers/Sr.Audit Officers are hereby informed that if, they, do not want to avail the benefits of financial up-gradation in terms of headquarters Circular

M-572
25/03/22

Sr. AO /IS Wing

dated 20.06.2016 *ibid*, they may submit their option in the proforma attached within one month from the date of issue of this Office Order through their concerned admin sections.

-हस्ता-
वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/गोपनीय कक्ष

क्रमांकःप्रशा./गो.क./ले.प./एम.ए.सी.पी./भाग-4/ STR-1/224 **दिनांक** 21.03.2022
प्रतिलिपिः सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित

1. सचिव, प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा-I) म.प्र., ग्वालियर।
2. सचिव, महालेखाकार (लेखापरीक्षा-II) मध्य प्रदेश, 53 अरेरा हिल्स, होशंगाबाद रोड, भोपाल।
3. वरिष्ठ उप महालेखाकार/प्रशासन, कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा-II) मध्य प्रदेश, 53 अरेरा हिल्स, होशंगाबाद रोड, भोपाल ।
4. उप महालेखाकार/प्रशासन, कार्यालय प्र.म.ले.(लेखापरीक्षा-I) म.प्र., ग्वालियर।
5. उप महालेखाकार/AMG-I, II, III, IV एवं V की ओर प्रेषित कर अनुरोध है कि आपके अधीन कार्यरत समस्त सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों/वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारियों को सूचित करें।
6. उप निदेशक (केन्द्रीय), कार्यालय महानिदेशक लेखापरीक्षा (केन्द्रीय प्राप्ति), नई दिल्ली, शाखा-ग्वालियर ।
7. वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/प्रशासन-1 एवं 2, कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा-II) मध्य प्रदेश, 53 अरेरा हिल्स, होशंगाबाद रोड, भोपाल की ओर प्रेषित कर अनुरोध है कि आपके कार्यालय के समस्त सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों/वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारियों को सूचित कर संलग्न प्रारुप मे विकल्प एक माह की समयावधि मे प्राप्त कर इस कार्यालय मे प्रेषित करें ।
8. वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/जी.ई. कार्यालय महानिदेशक लेखापरीक्षा (केन्द्रीय प्राप्ति), नई दिल्ली, शाखा-ग्वालियर की ओर प्रेषित कर अनुरोध है कि आपके कार्यालय के समस्त सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों/वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारियों को सूचित कर संलग्न प्रारुप मे विकल्प एक माह की समयावधि मे प्राप्त कर इस कार्यालय मे प्रेषित करें ।
9. वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/AMG-I, II, III, IV एवं V के नियंत्रण अनुभागो की ओर प्रेषित कर अनुरोध है कि आपके समूह मे कार्यरत समस्त सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों/वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारियों को सूचित करे।
10. वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/IS Wing को Administration-Personnel लिंक एवं इंटरनेट के अंतर्गत अपलोड करने हेतु।
11. महामंत्री, एस.ए.एस.(आडिट) वेलफ़ेयर एसोसिएशन, ग्वालियर।
12. सूचना पटल

21/3/2022
वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/गोपनीय कक्ष

ANNEXURE - A

FORM OF OPTION

I .... do not wish to avail of the benefit of financial upgradation under ACP/MACP in light of Headquarters Circular dated 20.06.2016 and hereby elect to opt out of said circular and not get the same implemented in my case. Further, I opt to continue with the regulation of pay/MACP as was admissible to me prior to issue of Headquarter's circular dated ibid.

2. I am aware that option once exercised is final.

3. I also undertake to repay any excess payments which may arise due to re-regulation of pay/MACP.

Signature:

Date

Name:

Designation

Office in which employed